केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

सं.सी-27013/01/2016 -हिन्दी 803 दिनांक: 07.01.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 87वीं बैठक के कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 87वीं बैठक अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2018 को "परिवेश भवन" के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है। अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ, टिप्पणी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

इस संदर्भ में सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

07/01/19
(शीतल प्रसाद)
प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.)

सेवा में,

....

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली -110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली- 23
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, आई.टी.प्रभाग - कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

07/01/19
(शीतल प्रसाद)
प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.)

केन्द्रीय बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.12.2018 को आयोजित 87वीं बैठक का कार्यवृत्त

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 87वीं बैठक दिनांक 27.12.2018 को अपराह्न 2.30 बजे अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में परिवेश भवन के द्वितीय तल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक की पूर्व सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपनिदेशक (राजभाषा) एवं केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली और महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, सरोजनी नगर, नई दिल्ली को भेज दी गयी थी। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध के रूप में इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न है।

श्री आर.डी.पांडे, प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय सहित उपस्थित सदस्य सचिव महोदय का हार्दिक अभिनंदन किया इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) ने अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात बैठक की कार्यसूची के अनुसार मदवार चर्चा शुरू की गई।

मद सं. 01: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति को अवगत कराया कि समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं संबंधितों को उनकी टिप्पणी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित किए गए थे। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अत: प्रस्ताव किया गया कि विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली जाए। फलस्वरूप प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) की अनुशंसा पर और सभी सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

मद सं. 02: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

समिति को यह अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों को सुधारने हेतु सभी प्रभाग प्रभारियों से यथा संभव प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्राचार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

मद सं. 3: गत तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

समिति को गत तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया गया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से श्रीमती वीना शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट की अधिकांश मदों की स्थिति संतोषजनक बतायी गई। तिमाही रिपोर्ट की मद सं. 4 (हिन्दी पत्राचार बढ़ाने) एवं 5 (फाइलों पर टिप्पणी हिन्दी में किये जाने) पर लक्ष्य अनुसार कार्रवाई करने के विशेष निदेश दिए गए हैं। राजभाषा के पत्राचार एवं टिप्पणी संबंधी कार्य की स्थिति को जानकर अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभागों के प्रभारियों को इस ओर ध्यान देने का निदेश दिया और कहा कि हम निर्धारित लक्ष्य के काफी निकट है। अत: थोड़े और प्रयासों से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

तत्पश्चात समिति को अवगत कराया गया कि गत तिमाही में केन्द्रीय बोर्ड में दिनांक 05.12.2018 को 25 कर्मचारियों के लिए 01 पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई थी।

- अनुवर्ती कार्यवाही- हिन्दी प्रभाग

मद सं. 4 : नराकास द्वारा पिछली बैठक में के.प्र.नि.बो. को अपनी गृह पत्रिका के प्रकाशन हेतु आग्रह किया गया।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि दिनांक 27.11.2018 को नराकास की बैठक आयोजित हुई। जिसके अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी गृह पत्रिका के प्रकाशन हेतु सुझाव दिया गया। केन्द्रीय बोर्ड की हिन्दी में कोई गृह पत्रिका नहीं है। यह भी सूचित किया गया कि भोपाल एवं लखनऊ क्षेत्रीय निदेशालय पहले से ही अपनी गृह पत्रिका प्रकाशित कर रहें हैं। इस क्रम में हिन्दी प्रभाग द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि केन्द्रीय बोर्ड, प्रारम्भिक रूप से हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख प्रतियोगिता में प्राप्त लेखों का संकलन कर उन्हें गृह पत्रिका (वार्षिक) का रूप देकर प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय के अनुसंधानों एवं उपलब्धियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति प्रदान करते हुए सभी प्रभाग प्रभारियों को निदेश दिया कि वे अपने प्रभाग से संबंधित अनुसंधानों एवं उपलब्धियों को (राजभाषा प्रभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार अनुवाद करवाकर) संक्षेप में उपलब्ध करवाएं। इसके अतिरिक्त प्रभारी, आई.पी.सी.-II द्वारा सुझाव दिया गया कि इसमें वार्षिक रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त रूप में शामिल किया जा सकता है। जिसके लिए अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान की।

- अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग, प्रभारी-जनसंम्पर्क एवं हिन्दी प्रभाग

मद सं. 5 : क्षेत्रीय निदेशालयों के निरीक्षण के संबंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि राजभाषा हिन्दी के अनुपालन की स्थिति हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशालयों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित होता है। 83वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय निदेशालयों के दौरे हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 2018 में क्षेत्रीय निदेशालय बेंगलुरू, कोलकाता, लखनऊ, और शिलांग का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। अभी क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल, वड़ोदरा और परियोजना कार्यालय - आगरा का निरीक्षण किया जाना शेष है। उपर्युक्त कार्यालयों का निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य समस्या के रूप में पाया गया कि हिन्दी काडर का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नहीं है। जिससे राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इस संबंध में यह प्रस्तावित है कि सभी क्षेत्रीय निदेशालयों को कॉन्ट्रेक्ट आधार पर अनुवादक-कम-टंकक की अनिवार्य नियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाए, जब तक उक्त स्थायी पदों का सृजन नहीं हो जाता जोकि मंत्रालय में विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति की गई।

- अनुवर्ती कार्यवाही- क्षेत्रीय निदेशालयों

मद सं. 6 : केन्द्रीय बोर्ड की लाइब्रेरी हेतु हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि गत वर्ष कार्यालय की पुस्तकों की खरीद संबंधी कुल व्यय 1,27,000/-रू. था जिसमें से केवल 24,500/-रू. की हिन्दी किताबें खरीदी गई। नियमानुसार यह कुल अनुमोदित व्यय का 50% होना चाहिए। इस संबंध में प्र.अधि.(का.) द्वारा सूचित किया गया कि हिन्दी किताबों से अभिप्राय केवल कहानी एवं उपन्यासों से नहीं होता। भिन्न-भिन्न प्रकार की हिन्दी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, अनुसंधान पत्रों आदि को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जिसका लक्ष्य कर्मचारियों के मध्य हिन्दी के प्रति रूचि बढ़ाना है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रभारी-पुस्तकालय से स्पष्टीकरण दिए जाने के संदर्भ में प्रभारी-पुस्तकालय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इस पर 50% हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी।

- अनुवर्ती कार्यवाही- प्रभारी, पुस्तकालय

मद सं. 7 : आशुलिपि/टंकण के प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों को नामित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आशुलिपिक, टंकक, सहायक आदि को प्रशिक्षण देने हेतु दीर्घकालीन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जो प्राय: 4-6 माह की होती है। इन कक्षाओं का उद्देश्य कार्यालय में हिन्दी के कार्य को गति प्रदान करना है। वार्षिक कार्यक्रम के तहत भी इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यालय में कार्य की अधिकता एवं कर्मचारियों की अनुउपलब्धता के कारण प्राय: प्रशिक्षण की अनुमति नहीं मिल पाती है। इसी क्रम में, हिन्दी अनुभाग द्वारा **'इन हाउज़ टंकण प्रशिक्षण'** के तहत **'ऑन जॉब डेस्क ट्रेनिंग प्रोग्राम'** प्रारंभ किया गया है। आगे यह प्रस्तावित किया गया कि सभी अधिकारी अपने प्रभाग के (टंकण) संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ किसी एक अन्य कर्मचारी को भी उक्त प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से नामित करें। अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभाग प्रभारियों को इसे गंभीरता से लेने का निदेश दिया ताकि निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव महोदय को इस संबंध में स्वंय संज्ञान लेने हेतु निर्देश दिया।

- अनुवर्ती कार्यवाही- हिन्दी प्रभाग एवं सभी प्रभाग प्रभारी

मद सं.8 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

उपर्युक्त मद पर, समिति के किसी भी सदस्य द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया एवं किसी अन्य विषय पर भी कोई चर्चा नहीं हुई।

अंत में अध्यक्ष महोदय के साथ-साथ सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

****

[illegible] राजभाषा कार्यान्वयन समिति, [illegible] बोर्ड की [illegible]वीं बैठक में [illegible]

उपस्थिति (दिनांक 27.12.2018)

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1.	गुरनाम सिंह	गु.सिंह
2.	वीरेन्द्र कुमार जखमोला	[illegible]
3.	नवीन चन्द्र दुर्गापाल	N.Durgapal
4.	[illegible] कुमार	[illegible]
5.	वीरेन्द्र सिंह	[illegible]
6.	अजय अग्रवाल	अ अग्रवाल
7.	प्रदीप कुमार मिश्रा	[illegible]
8.	प्रमोद कुमार गुप्ता	प्र.कु. गुप्ता
9.	[illegible] चन्द्र गौड़	[illegible] चन्द्र गौड़
10.	V.P. Yadav / वी.पी. यादव	[illegible]
11.	नलिन कुमार गुप्ता	[illegible]
12.	~~[illegible]~~	[illegible]
13.	संजय कुमार	संजय कुमार
14.	जी गणेश	गणेश
15.	सुनील हने	[illegible]
16.	नाजिम उद्दीन	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]
18.	प्रशान्त [illegible]	[illegible]
19.	राम दत्त पाण्डे	[illegible]
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		